

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक

उत्तर

प्रदेश।

रावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या:18-ए0एस0आई0(लेखा)-271/2023(सुभाष चन्द्र त्रिपाठी)

दिनांक:लखनऊ:फरवरी

2025

आदेश

पुलिस सहायक उपनिरीक्षक(लेखा) श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, जनपद-फतेहगढ़ द्वारा योजित निर्देश याचिका संख्या:1238/2022 सुभाष चन्द्र त्रिपाठी बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2023 के अनुपालन में याची को आदेश संख्या:डीजी-तीन-ब-114(211)/2021 दिनांक 03.12.2021 द्वारा प्रदत्त दण्डादेश अपास्त कर दिये जाने के फलस्वरूप पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) के पद पर चयनवर्ष-2020 की रिक्ति के सापेक्ष उक्त कर्मी को पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने हेतु प्रकरण भर्ती बोर्ड को सन्दर्भित किया गया था।

2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या:पीआरपीवी-चार-10(28)/2023(111) दिनांक 31.01.2025 द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत विभागीय चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी को चयनवर्ष-2020 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व चयन वर्ष में उनके वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मी की तिथि से पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, उक्त कर्मी का विवरण निम्नवत है:-

क.	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद/इकाई
1	982830031	सुभाष चन्द्र त्रिपाठी	स्व0रामबाबू त्रिपाठी	2020	जनपद-फतेहगढ़

3. इनकी वरिष्ठता चयनवर्ष-2020 की रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति पाये इनसे वरिष्ठ कर्मी राकेश कुमार, पी0एन0ओ0-982400036 के नीचे एवं इनसे कनिष्ठ कर्मी अशोक कुमार सिंह, पी0एन0ओ0-982770058 के ऊपर यथास्थान निर्धारित की जायेगी।

4. पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मी के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

5. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) से संलग्न प्रारूप(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ विद्यमान न हों:-


- यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।
- यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

उपरोक्त तीनों परिस्थितियों सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के विरुद्ध विद्यमान न हो।

6. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-5 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित कर्मियों को पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-5 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मियों के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या मुख्यालय पुलिस महानिदेशक 30प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

7. यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाना पाया जाता है तो सम्बन्धित कर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक(लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मियों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, 30प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उक्त आदेश की प्रति 30प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित जनपद/इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नॉशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

  
(नचिकेता झा)  
पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: अध्यक्ष, 30प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ को आदेश की 02 प्रतियां इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, पी0एन0ओ0-982830031 को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को उपलब्ध करने का कष्ट करें।